

277/6910/18
27/1/18



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वायूबाल पटेल 2. वर्तमान धारित पद उप सहायक मार्शल
3. वर्तमान वेतन ...3.7.500 + D.A...... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) ग्राम- पारकनी तहसील रायचौगढ़ जिला- गुना म. प्र.	—	कृषि भूमि पेतूक 30 पीप्या लग भू	21 लाख 20000 लगभग	स्वयं के नाम पर	पेतूक संपत्ति से प्राप्त हुई	शुद्ध से 1,00,000/- एक लाख अथवा लगभग	
(2) ग्राम- रसूलिया पठार तहसील दुपूर जिला भोपाल	—	भू-खण्ड 1000 वर्ग फीट	340,000/- तीन लाख चालीस हजार रुपये	स्वयं के नाम पर	क्रम किया!		
(3) साडा कालोनी रायचौगढ़ जिला गुना (म. प्र.)	—	25x50 1250 वर्ग फीट भू-खण्ड	8,50,000/- आठ लाख पचास हजार रुपये	स्वयं के नाम पर	क्रम किया!		

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवानुवृत्त के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम वायूबाल पटेल
पद उप सहायक मार्शल